न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/152 जिला–नागौर

सोहन राम दत्तक पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी बाडाणी तहसील व जिला नागौर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. मूलाराम पुत्र राजूराम
2. उदी पत्नी पूसाराम
3. रामलाल पुत्र पूसाराम
4. सुरजाराम पुत्र पूसाराम
5. भूराराम पुत्र पूसाराम
6. गुड्डी पुत्री पूसाराम
7. भंवरी पुत्री पूसाराम
8. मीरा पुत्री पूसाराम
9. मानी पत्नी मेहराम
10. बिशनाराम पुत्र मेहराम
11. मुल्तानराम पुत्र सिरदाराराम
    समस्त जाति जाट निवासी बाडाणी तहसील व जिला नागौर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।
13. पटवारी हल्का बाडाणी तहसील व जिला नागौर।
14. भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय तहसील व जिला नागौर।

---प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 14–12–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना संख्या 72/2021
बउनवान सरकार बनाम मोहनराम

उपस्थित– 1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 से 11

निर्णय

दिनांकः— 30—01—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके मौजा बाडाणी के खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5685 हैक्टर (जो अपीलार्थी सोहनराम का खातेदारी का खेत है) में से 0.0756, खसरा नम्बर 582/216 रकबा 12.7395 हैक्टर में से 0.5180, खसरा नम्बर 222 रकबा 7.1629 हैक्टर में से 0.1582, खसरा नम्बर 583/216 रकबा 4.1683 हैक्टर में से 0.0448 हैक्टर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने की अभिशंषा की गई जिस पर प्रकरण संख्या 72/2021 दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यर्थीगण की सुनवाई हेतु सम्म्न जारी ही नहीं किये गये मात्र तहसीलदार नागौर की अभिशंषा को ही आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी नागौर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—12—2021 पारित कर अपीलार्थी की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि दिनांक 28—3—2022 को पटवारी हल्का ने ग्राम में अपीलार्थी को बताया कि तुम्हारी भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5685 में से 0.0756 में से उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14—12—2021 के द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही नहीं रही है क्योंकि सारी कार्यवाही एकपक्षीय रूप से पारित की गई है जिसके तहत अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी सम्मन नोटिस जारी नहीं किये गये। उक्त जानकारी के बाद अपीलार्थी दिनांक 13—4—2022 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त आदेश की नकले प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2021 स्वयं अपीलार्थी की सहमति से पारित हुआ है। इस कारण निर्णय दिनांक से ही उक्त आदेश की जानकारी मानी जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्र से स्पष्ट साबित है कि अपीलार्थी ने ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 223, 222, 582/216 व 216 की आराजी में मौके पर चल रहे रास्ते को कटाणी करवाने हेतु स्वयं उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की है। अतः सहमति से पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी विबंधित है तथा अपीलाधीन आदेश की रेकार्डेड जानकारी अपीलार्थी को शुरू से ही रही है। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि वाके मौजा बाडाणी में अपीलार्थी सोहनराम के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5685 हैक्टर जो अपीलार्थी सोहनराम का खातेदारी का खेत है में से 0.0756, खसरा नम्बर 582/216 रकबा 12.7395 हैक्टर में से 0.5180, खसरा नम्बर 222 रकबा 7.1629 हैक्टर में से 0.1582, खसरा नम्बर 583/216 रकबा 4.1683 हैक्टर में से 0.0448 हैक्टर में से गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर दिया जबकि अपीलार्थी के उक्त खातेदारी खेत में से कभी भी मौके पर कोई रास्ता अथवा पगडण्डी नहीं रही है जबकि खेत खसरा नम्बर 583/216 के चिपते उत्तर में धूंधवालों की ढाणी के चिपते ही उत्तर की तरफ डामर रोड बनी हुई है। इसका ही उपयोग एवं उपभोग रास्ते के रूप में किया जा रहा है। अपीलार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5686 हैक्टर में से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एव ंना ही इसका उपयोग एवं उपभोग अन्य किसी भी अन्य खातेदारान द्वारा किया गया है

तथा ना ही रास्ते की किसी भी खातेदारान द्वारा मांग की गई है। इसके बावजूद मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि प्रथमदृष्टया ही गैर कानूनी है क्योंकि किसी भी परिपत्र के आधार पर खातेदारी समाप्त करके रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 के तहत आम रास्ता प्रयोजनार्थ ग्राम बाडाणी के तहत प्रदान किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है क्योंकि प्रशासन गांव के संग अभियान में पक्षकारों की आपसी सहमति एवं रजामंदी के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नागौर द्वारा पटवारी हल्का बाडाणी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 14–12–2021 को ही सत्य मानकर सारी कार्यवाही एक दिन की गई एवं उक्त सारी कार्यवाही आनन–फानन में की जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर समस्त कार्यवाही अमल में लाई गई है जबकि मोहनराम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 11 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सभी पक्षकारान (अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0 1से 11) की सहमति के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–12–2021 पारित किया है। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य सहमति पत्र से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम बाडाणी के मजमे आम में अधीनस्थ तीन सदस्य राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट एवं उभयपक्षों की आम सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा यह निर्णय सहमति से पारित होने के कारण प्रशनगत अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 223, 222, 582/216 व 216 की आराजी में मोके पर चल रहे रास्ते को कटाणी दर्ज करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये है। वर्तमान अपीलार्थी मात्र खसरा नम्बर 223 का खातेदार कृषक है तथा अन्य खसरा नम्बरान 222, 582/216 व 216 के खातेदारान वर्तमान प्रत्यर्थीगण है जो रास्ते को स्वीकृत करने में सहमत है तथा केवल मात्र एक खेत का खातेदार प्रश्नगत अपील में रास्ते बाबत असहमत हो रहा है जो सदभाविक नहीं है। इसलिए समस्त काश्तकारान के खेत में आवागमन हेतु रास्ता न्यायोचित होने से अपीलार्थी की अपील निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नगत प्रकरण रास्ते से संबंधित है तथा रास्ता या पहुंच मार्ग कृषक के लिए एक आवश्यक विधिक अधिकार है। कृषक के लिए अपने खेत में पहुंचने के लिए रास्ता होना आवश्यक है तथा इसके सुलभ निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में एक परिपत्र दिनांक 30–9–2022 जारी कर समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि रास्ते का प्रकरण अत्यन्त शीघ्रता से निस्तारित करते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी कृषक अपने खेत में आवागमन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा परिपत्र में जारी दिशा निर्देशों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, नागौर द्वारा पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष चालू स्थाईसार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5685 हैक्टर जो अपीलार्थी सोहनराम का खातेदारी का खेत है में से 0.0756, खसरा नम्बर 582/216 रकबा 12.7395 हैक्टर में से 0.5180, खसरा नम्बर 222 रकबा 7.1629 हैक्टर में से 0.1582, खसरा नम्बर 583/216 रकबा 4.1683 हैक्टर में से 0.0448 हैक्टर को गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 की खातेदारी मे दर्ज है जो कि कटाणी रास्ते के रूप मे काम आ रही है तथा उक्त एक खेत से दूसरे खेतों में आवागमन हेतु भी उपयोग में लेते है। विवादित आराजियात निजी खातेदारी की भूमि होने से गैरमुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी इससे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के हक प्रभावित नहीं होंगे तथा ग्रामवासियों के आवागमन हेतु उक्त रास्ता जनसुविधार्थ है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण ने 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर ग्राम बाडाणी के खसरा नम्बर 223, 222, 582/216 व 216 में मौके पर चल रहे रास्ते को कटाणी करने हेतु सहमति पत्र दिनांक 28–9–2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति पत्र एवं तहसीलदार नागौर एवं पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो उचित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(21)राज. 6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10–08–2016 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) व राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17–9–1956 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में धारा 131, 132 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील नागौर

मौजा बाडाणी के खसरा नम्बर 223 रकबा 5.5685 हैक्टर में से 0.0756, खसरा नम्बर 582/216 रकबा 12.7395 हैक्टर में से 0.5180, खसरा नम्बर 222 रकबा 7.1629 हैक्टर में से 0.1582 हैक्टर, खसरा नम्बर 583/216 रकबा 4.1683 हैक्टर में से 0.0448 हैक्टर भूमि मोके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में करने के आदेश दिनांक 14—12—2021 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो जनसुविधा को देखते हुए उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—12—2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—12—2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2021 बउनवान सरकार बनाम मोहनराम विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30—01—2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर